

प्रेषक,

मो० वासिफ,

अनु सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

अधिशाली अधिकारी,

1. नगर पंचायत, खड्डा, जनपद-कुशीनगर।
2. नगर पंचायत, भोगांव, जनपद-मैनपुरी।
3. नगर पंचायत, मऊआइमा, जनपद-प्रयागराज।
4. नगर पंचायत, सैफनी, जनपद-रामपुर।

नगर विकास अनुभाग- 9

लखनऊ : दिनांक ०१ मार्च, २०२४

**विषय:-** वित्तीय वर्ष २०२३-२४ में 'पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना' अनुदान संख्या-८३ से ब्याज रहित ऋण के रूप में नगर पंचायतों के कार्यों/परियोजनाओं हेतु प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करने एवं प्रथम किश्त की धनराशि अवमुक्त करने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-१७५/न०पं०खड्डा/२०२३-२४, दिनांक-२२.०९.२०२३, पत्रांक-७४६/न०पं०भोगांव/२०२३-२४, दिनांक-०७.०२.२०२४, पत्रांक-३५३/न०पं०म०/२०२३-२४, दिनांक-२८.०२.२०२४ एवं पत्रांक-५४७/न०पं०सै०/२०२३-२४, दिनांक-०६.०२.२०२४ का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से क्रमशः नगर पंचायत, खड्डा, जनपद-कुशीनगर, नगर पंचायत, भोगांव, जनपद-मैनपुरी, नगर पंचायत, मऊआइमा, जनपद-प्रयागराज एवं नगर पंचायत, सैफनी, जनपद-रामपुर को पं० दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना अनुदान संख्या-८३ के अन्तर्गत क्रमशः धनराशि ₹० १५१.४७ लाख, ₹० १०१.२१ लाख, ₹० १००.६३ लाख एवं ₹० १०३.९९ लाख अवस्थापना सुविधाओं के विकास से संबंधित विभिन्न कार्यों हेतु स्वीकृत किये जाने का अनुरोध किया गया है।

२. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश की नागर निकायों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु निकायों की मांग पर पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से ब्याज रहित ऋण के रूप में धनराशि स्वीकृत की जाती है। नगर पंचायत, **खड्डा**, जनपद-कुशीनगर, नगर पंचायत, **भोगांव**, जनपद-मैनपुरी, नगर पंचायत, **मऊआइमा**, जनपद-प्रयागराज एवं नगर पंचायत, **सैफनी**, जनपद-रामपुर द्वारा प्रस्तुत परियोजना के आगणन/प्रस्ताव, कुल लागत धनराशि ₹० ४५७.१९ लाख (रूपये चार करोड़ सत्तावन लाख उन्नीस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुये प्रथम किश्त की धनराशि ₹० २२५.०० लाख (रूपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) अनुदान संख्या-८३, पं० दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना के अन्तर्गत ब्याज रहित ऋण के रूप में निम्न विवरणानुसार एवं निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन अवमुक्त किये जाने की मा० राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं:-

क्र० सं०	निकाय/जनपद का नाम	मद/कार्य	प्राक्कलित धनराशि/प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	आवंटित धनराशि	आवंटित धनराशि के सापेक्ष प्रथम किश्त के रूप में निर्गत की जा रही धनराशि
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	नगर पंचायत, खडडा, जनपद-कुशीनगर	1. वार्ड नं० 09/10 में छेदी पाण्डेय के घर से जितेन्द्र मोदनवाल के घर तक सी०सी०रोड एवं कवर्ड आर०सी०नाली निर्माण कार्य। 2. नगर पंचायत खड्डा में 16 मीटर हाईमास्ट लाईट की आपूर्ति एवं अवस्थापना कार्य। 3. नगर पंचायत खड्डा, जनपद- कुशीनगर में जटाशंकर पोखरा पर विक्टोरियो लाईट की आपूर्ति एवं अवस्थापना कार्य। 4. नगर पंचायत खड्डा, जनपद- कुशीनगर में सुभाष चौक से रानीलक्ष्मीबाई चौक तक 9 मीटर आक्टोगोनल पोल डिजाईनर सिंगल आर्म ब्रकेट 120 वॉट एल०ई०डी० स्ट्रीट लाईट की आपूर्ति एवं अवस्थापना कार्य।	35.55 53.27 29.06 33.59		
		<b>योग</b>	<b>151.47</b>	<b>150.00</b>	<b>75.00</b>
2	नगर पंचायत भोगाँव जनपद-मैनपुरी	1. वार्ड सं० 01 भीमनगर में सन्दीप के गकान से बल्लू के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क निर्माण कार्य 2. वार्ड सं० 1 भीमनगर में विमल के मकान से पन्नाराल के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 3. वार्ड सं० 01 भीमनगर श्री अनिल कुमार के मकान से साहब सिंह के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 4. वार्ड सं० 1 भीमनगर में प्रमोद के प्लाट से दिनेश के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 5. वार्ड सं० 3 गिहार कालोनी अमर से राजू मनीषा से सुभाष, वीरेन्द्र से जलपरी तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 6. वार्ड सं० 04 आदर्शनगर में राजकुमारी के मकान से आमोद मेमोरियल स्कूल तक नाली व इं०ला० सड़क निर्माण कार्य 7. वार्ड सं० 4 आदर्शनगर में रामनाथ के मकान से रोशनलाल के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 8. वार्ड नं० 6 चौधरी में प्रभाकर के मकान से सुधीर शाक्य के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 9. वार्ड नं० 6 चौधरी में अतर सिंह के मकान से मोहन लाल के मकान होते हुए वीरेन्द्र सिंह शाक्य के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 10. वार्ड सं० 7 मिश्राना में सुरेन्द्र शंखवार के मकान से राजेन्द्र बाथम के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क का निर्माण कार्य 11. वार्ड 13 पथरिया में रामजानकी गैरिज लान से फहीम कुरेशी के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क निर्माण कार्य 12. वार्ड सं० 14 हथियापौर में रेवाडी लाल के मकान से राजेन्द्र राजपूत के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क निर्माण कार्य। 13. वार्ड सं० 14 हथियापौर में दिनेश राजपूत के मकान से राजू चतुर्वेदी के मकान तक नाली व इं०ला० सड़क निर्माण कार्य।	4.06 5.98 4.06 1.46 6.57 6.91 3.43 9.94 9.50 14.21 11.56 15.10 8.37		
		<b>योग</b>	<b>101.15</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
3	नगर पंचायत मऊआइमा, जनपद-प्रयागराज	1. वार्ड नं० 01 शाहगंज दलित बस्ती में रहीश के कारखाना से लियाकत के घर तक सी०सी० सड़क आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य। 2. वार्ड नं० 01 शाहगंज दलित बस्ती में लतिफ के घर से फारूख के घर तक सी०सी० सड़क, आर०सी०सी० नाली निर्माण कार्य। 3. वार्ड नं० 02 मुस्तफाबाद में दलित बस्ती में शौचालय से मस्जिद तक सी०सी० सड़क, आर०सी०सी० निर्माण कार्य। 4. वार्ड नं० 02 मुस्तफाबाद दलित बस्ती में बन्ने के घर से गनी वकील के घर तक सी०सी० सड़क, आर०सी०सी० निर्माण कार्य। 5. नगर पंचायत सीमान्तर्गत दलित बस्तियों में एल०ई०डी० स्ट्रीट लाइट का कार्य। 6. नगर पंचायत सीमान्तर्गत दलित बस्ती में हाईमास्टर अधिष्ठापन का कार्य।	8.26 36.46 8.19 18.24 6.91 22.57		
		<b>योग</b>	<b>100.63</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
4	नगर पंचायत सैफनी	1. शकील सैफी के मकान से आरिफ के मकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं० 9 2. अशरफ के दुकान से अययूब की दुकान तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं० 7	15.02 7.97		

जनपद- रामपुर	3. वहीद के मकान से शकील के प्लॉट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं0 6	18.22		
	4. अयूब के मकान से गप्फार की दुकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं0 7	4.93		
	5. असलम के मकान से आले हसन के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं0 14	3.98		
	6. मोहम्मद के मकान से असलम के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं0 7	6.59		
	7. पप्पू बाल्मिकी के मकान से मुन्ने के प्लाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं0 14	9.62		
	8. बाबर खां के मकान से अययूब अल्वी के प्लाट तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य वार्ड नं0 14	7.32		
	9. हाई मास्ट पोल लाइट 16 मीटर	30.29		
	<b>योग</b>	<b>103.94</b>	<b>100.00</b>	<b>50.00</b>
	<b>कुल योग (नगर पंचायत अनुदान सं0-83)</b>	<b>457.19</b>	<b>450.00</b>	<b>225.00</b>

### नियम व शर्तें/प्रतिबन्धों

- (1) यह धनराशि सम्बन्धित निकाय को ब्याज रहित ऋण के रूप में स्वीकृत की जा रही है, जो भविष्य में राज्य वित्त आयोग की संस्तुतियों के तहत अंतरण से दी जाने वाली धनराशि से तीन वर्षों के पश्चात दस समान वार्षिक किश्तों में समायोजित की जायेगी।
- (2) अवमुक्त की जा रही धनराशि नियमानुसार टेण्डर की प्रक्रिया पूर्ण कराते हुए वर्क आर्डर निर्गत करने के उपरान्त ही संबंधित निकायों द्वारा स्वीकृत कार्यो हेतु व्यय की जायेगी।
- (3) स्वीकृत धनराशि के आहरण हेतु निकाय द्वारा प्रस्तुत बिल सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी/सक्षम अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा, जिसे सम्बन्धित जनपद के मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा निकाय के खाते में सीधे जमा किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि एकमुश्त न आहरित कर आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा आहरित धनराशि किसी अन्य बैंक/डाकघर/पी0एल0ए0 व डिपोजिट खाते में नहीं रखी जाएगी।
- (4) स्वीकृत धनराशि का व्यय पं0 दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना से संबंधित शासनादेशों/दिशा-निर्देशों एवं समय पर शासन द्वारा निर्गत अन्य शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा।
- (5) स्वीकृत धनराशि का उपयोग स्वीकृत प्रयोजन पर ही किया जायेगा, अन्यथा की स्थिति में किसी प्रकार की अनियमितता के लिये इसका समस्त उत्तरदायित्व निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। सामग्री/उपकरणों का क्रय वित्तीय नियमों के अनुसार किया जायेगा।
- (6) प्रस्तावित प्रायोजना के कार्य को प्रारम्भ करने से पूर्व वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-6 के अध्याय-12 के प्रस्तर-318 में वर्णित व्यवस्था के अनुसार प्रायोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय तथा सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति/अनुमोदन प्राप्त करने के उपरान्त निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्वन संबंधित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा।
- (7) स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों/समय समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों के अनुरूप किया जायेगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य ससमय पूर्ण करा लिया जाना सुनिश्चित किया जाय।
- (8) स्वीकृत किये जा रहे कार्यो के कार्य स्थल पर राज्य स्तरीय टास्क फोर्स द्वारा "डिस्पले बोर्ड" पर योजना का नाम अर्थात पं0 दीनदयाल उपाध्याय नगर विकास योजना का पूर्ण विवरण एवं कार्य प्रारम्भ होने तथा पूर्ण होने की सम्भावित तिथि का उल्लेख किया जायेगा। कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ यथा कार्ययोजना का प्रस्ताव निकाय बोर्ड की बैठक में पारित कराने, अधिशासी अभियन्ता द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित, आगणन, वार्ड में अनुसूचित जाति की जनसंख्या का प्रमाण पत्र आदि पूर्ण कराने का दायित्व

संबंधित निकाय का होगा। आगणन में किसी प्रकार की त्रुटि होने पर संबंधित अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।


- (9) स्वीकृत धनराशि की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण प्रत्येक माह निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, 30प्र0 लखनऊ के माध्यम से सचिव/प्रमुख सचिव, नगर विकास विभाग/वित्त विभाग को भी उपलब्ध कराया जायेगा।
- (10) विद्युत कार्यों के लिये शासनादेश संख्या-1383/9-9-14-84 ज/14, दिनांक 19.11.2014 एवं शासनादेश संख्या-227/2015/1689/नौ-8-2015-96ज/2015, दिनांक 20.11.2015 में दिये गये दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।
- (11) प्रायोजना हेतु नियमानुसार समस्त आवश्यक वैधानिक अनापतियां एवं पर्यावरणीय क्लीयरेन्स सक्षम स्तर से प्राप्त करके ही निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा।
- (12) प्रायोजनान्तर्गत प्रस्तावित कार्यों की द्विरावृत्ति (डुप्लीकेसी) को रोकने की दृष्टि से प्रायोजना की स्वीकृति से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य पूर्व में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम के अन्तर्गत न तो स्वीकृत है और न वर्तमान में किसी अन्य योजना/कार्यक्रम में आच्छादित किया जाना प्रस्तावित है।
- (13) निष्प्रयोज्य होने वाले उपकरणों/सामग्री से प्राप्त धनराशि राजकोष में जमा करना सुनिश्चित करेंगे।
- (14) स्वीकृत कार्यों में से जिन कार्यों का निष्पादन एवं रखरखाव स्थानीय निकाय द्वारा किया जाता है, उनके लिये स्थानीय निकाय कार्यदायी संस्था होगी। अन्य कार्यों हेतु आवश्यकतानुसार कार्यदायी संस्था का चयन सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त किया जायेगा।
- (15) प्रस्तावित प्रायोजना में उल्लिखित विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन एवं तकनीकी स्वीकृति, जिसका सक्षम स्तर से अनुमोदन प्राप्त किया गया हो, के आधार पर निर्माण कार्य प्रारम्भ कराया जायेगा तथा आंकलित आगणनों में उल्लिखित मात्राओं को सुनिश्चित किये जाने का पूर्ण दायित्व सम्बन्धित निकाय/कार्यदायी संस्था का होगा। प्रायोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व मानचित्रों को आवश्यकतानुरूप स्थानीय विकास प्राधिकरण/सक्षम लोकल अथारिटी से स्वीकृत कराया जाय।
- (16) उपर्युक्त अवस्थापना विकास के कार्य नगर की तात्कालिक आवश्यकता के आधार पर स्वीकृत किये जा रहे हैं। अतः शासनादेश निर्गत होने के पश्चात तत्काल कार्य प्रारम्भ कराया जाना अनिवार्य होगा।
- (17) 'सेंटेज चार्ज, निर्माण लागत तथा वित्तीय स्वीकृति से सम्बंधित वित्तीय प्रबंधन' सम्बंधी वित्त विभाग के शासनादेश संख्या- 01/2023/ए-2-60/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 17 मई, 2023 तथा शासनादेश संख्या-02/2023/ए-2-66/दस-2023-17(4)/75 दिनांक 19 मई, 2023 के प्रावधानों का अनुपालन जिलाधिकारी/नगरीय निकाय द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
- (18) योजनान्तर्गत वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय जाप संख्या- 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023 दिनांक 17 मार्च, 2023 यथा संशोधित कार्यालय जाप संख्या- 10/2023/बी-1-602/दस-2023-231/2023 दिनांक 19 सितम्बर, 2023 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाए।
- (19) उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 में (मार्च 2024 तक) में सुनिश्चित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र कार्यालय महालेखाकार, 30प्र0, प्रयागराज एवं शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। यह कार्यवाही सम्बन्धित निकाय द्वारा सुनिश्चित की जायगी।
- (20) आगणन में किसी भी प्रकार की त्रुटि के लिये अधिशासी अधिकारी/संबंधित अभियन्ता उत्तरदायी होंगे।
- (21) कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व समस्त औपचारिकतायें पूर्ण करा ली जायें।
- (22) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष कार्य पूर्ण होने के पश्चात, यदि धनराशि की बचत होती है तो उक्त धनराशि को निकाय द्वारा राजकोष में जमा कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(23) प्रश्नगत स्वीकृति जिस कार्य/मद के लिये है, उसी कार्य/मद पर व्यय प्रत्येक दशा में किया जायेगा।

(24) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय/उपयोग नीति आयोग, भारत सरकार तथा राज्य सरकार द्वारा एस0सी0एस0टी0/टी0एस0सी0 हेतु निर्धारित मानक व दिशा निर्देशो के अनुसार किया जाये।

3. इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 2,25,00,000 (रुपये दो करोड़ पच्चीस लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 083 लेखा शीर्षक 6215027890403 नगर पंचायतें मानक मद 30 निवेश/ऋण के नामे डाला जायेगा।


4. यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न संख्या E-9-587-X-2023-24, दिनांक-07 मार्च, 2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भारतीय  
  
(मो0 वासिफ) 07.03.24  
अनु सचिव।

संख्या-र/फ- 72 /2024/ 139 /002-E-1797439, तद् दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. सम्बन्धित मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
3. निदेशक, स्थानीय निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
4. निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
5. निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
6. कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
7. बजट प्रकोष्ठ, समाज कल्याण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
8. निजी सचिव, मा0 मंत्री जी, नगर विकास विभाग।
9. कोषाधिकारी, जनपद-कुशीनगर, मैनपुरी, प्रयागराज एवं रामपुर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9।
11. बेब मास्टर, कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग।
12. पी0एम0यू0 यूनिट, नगर विकास विभाग।
13. गार्ड फाइल।

अज्ञा से  
  
(मो0 वासिफ) 07.03.24  
अनु सचिव।

## Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष:-2023-2024  
आवंटन दिनांक-07/03/2024

प्रेषण संख्या:- RF72  
आवंटन आदेश संख्या:- 001-RF72-2024-139-002-E-1797439  
अनुदान संख्या:- 83 समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)  
(वित्तीय वर्ष 2023-2024 का आवंटन)  
लेखाशीर्षक:- 6215 - जल पूर्ति तथा सफाई के लिये कर्ज(आयोजनेत्तर-मतदेय)  
02 - मल-जल तथा सफाई  
789 - अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना  
04 - पं. दीन दयाल उपाध्याय नगर विकास योजना  
03 - नगर पंचायतें

(धनराशि रु. में)

S.No.	अधिकारी/जनपद का नाम		30-निवेश/ऋण	योग
1	मैनपुरी-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
2	रामपुर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
3	प्रयागराज-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	5000000 5000000	5000000 5000000
4	कुशीनगर-4183-जिलाधिकारी , --01--	वर्तमान प्रगामी	7500000 7500000	7500000 7500000
	योग	वर्तमान प्रगामी	22500000 22500000	22500000 22500000

महायोग- (वर्तमान आवंटन):- रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख

महायोग- (प्रगामी आवंटन):- रूपया दो करोड़ पच्चीस लाख

  
(कल्याण बनर्जी)  
संयुक्त सचिव